निर्णय बइजलास शक्तिसिह भाटी (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 57 /2019 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक –29.08.2019

अनवान

श्री फारूक मोहम्मद पिता श्री फरीद मोहम्मद छीपा आयु 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द –प्रार्थी

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील देवगढ –विपक्षी

प्रार्थना पत्र –अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एव 151 जाप्ता दिवानी

निर्णय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम कुण्डेली पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता सख्या 354 खसरा न. 1193/1112 रकबा 1 बीघा भुमी स्थित है उक्त भुमी पुर्व में खातेदार श्री लीलाराम पिता श्री वरदुमल सिंधी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2056–59 में खसरा न. 1193/933 रकबा 1 बीघा दर्ज रेकार्ड था जो सम्वत 2060–63 के ईन्द्राज खतोनी में खसरा न. 1193/933 रकबा 1 बीघा दर्ज हुआ जिसमें श्री लीलाराम जी कि मृत्यु के बाद वारीसान लखुमल , विरूमल, चन्दुमल, ताराबाई, सावित्री बाई पिता लीलाराम सिंधी के नाम नामान्तरण खुल गया । कालान्तर कि जमाबन्दी रेकार्ड खतोनी में सम्वत 2064–67 में उक्त भुमी के खसरा न. 1193/933 रकबा 1 बीघा था जो तत्कालिन खाता सख्या 400 से दर्ज रेकार्ड था उसके बाद पुनः राजस्व रेकार्ड के ईन्द्राज खतोनी करते समय सम्वत 2068–71 के जमाबन्दी रेकार्ड में खतोनी करते समय खाता सख्या 400 के खसरा न0 1193/933 के बजाय लिपिकिय त्रुटि से राजस्व रेकार्ड के खतोनी में खाता सख्या 354 के खसरा न. 1193/1112 रकबा 1 बीघा दर्ज रेकार्ड हो गया जबकि वास्तव में खसरा न. 1193/933 ही है एव वही मुल खसरा नम्बर है। जमाबन्दी ईन्द्राज करते समय खसरा न. गलत दर्ज हो गये जबकि 1193/1112 कोई खसरा है ही नही है लिपिकिय त्रुटि से 1193/933 के बजाय उक्त ईन्द्राज हो गया। भुमी वर्तमान में प्रार्थी के खाते राजस्व रेकार्ड में

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

दर्ज है परन्तु लिपिकिय भुल से वर्तमान खाता सख्या 354 में दर्ज खसरा न. 1193/1112 के बजाय वास्तवीक खसरा न. 1193/933 दर्ज राजस्व रिकोर्ड मे नामान्तरण खोलते समय ईन्द्राज के समय अशुद्धि रह गई एव खाता सख्या 354 में दर्ज खसरा न. 1193/1112 अंकित कर दिया गया जिससे हटाया जाकर वास्तविक खसरा न. 1193/933 ईन्द्राज दुरस्ती से करते हुये राजस्व ईन्द्राज में अंकन किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड विपक्षी के बाद तलबी जवाब पत्र प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थी अधिवक्ता कि बहस सुनी गई दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत 2056–59 , 2060–63, 2064–67 ,2068–71 का अवलोकन किया गया पटवार हल्का कि रिर्पोट का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। रास्जव रेकार्ड में ईन्द्राज खतौनी में 2068–71 के खतौनी के समय उक्त खतौनी में खसरा न. गलत रूप से 1193/1112 दर्ज हो गये जबकि वास्तवीक ,खसरा न. 1193/933 ही है अतः विपक्षी तहसीलदार देवगढ को वर्तमान खाता न. 354 खसरा न. 1193/1112 को हटाकर उसके बजाय खसरा न. 1193/933 रकबा 1 बीघा भुमी ईन्द्राज दुरस्ती से दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे ईन्द्राज दुरस्ती की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को बमुकाम सरे ईजलास न्यायालय देवगढ मे सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर देवगढ